कार्यालय कलेक्टर, जिला राजनांदगांव (छ0ग0)

—:: सार्वजनिक सूचना ::—

क्रमांक / 1552 / भू—अर्जन / भूक्रनी / 2018 राजनांदगांव, दिनांक 28 / 02 / 2020

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2016 के तहत कोलियारी जलाशय के अंतर्गत नहर नाली निर्माण में प्रभावित ग्राम — **जोशीलमती**, प.ह.न. 34, रा.नि.मं. खुज्जी, तहसील छुरिया, जिला राजनांदगांव के निम्नलिखित भू—धारकों की भूमि की आवश्यकता होने के कारण कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव के पक्ष में क्रय किए जाने पर विचार किया जा रहा है :—

क्र	भू—धारक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.में.)	क्रय हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6
1	द्रोपती, शकुन्तला, सरस्वती पिता जगत राम, चंदा बाई पति जगत राम जाति महार	16/2	0.450	0.049	असिंचित
2	गोवर्धन, कृष्णा, कामदास, धरमू पिता निरभे साहू जाति तेली	18/5	0.292	0.068	—"—
3	अश्वनीलाल, तुलसी राम पिता सूरज लाल जाति कलार	249/13	0.870	0.040	—"—
	योग	**03**	**1.612**	**0.157**	

उपरोक्त दर्शित भूमि के स्वत्व के विषय में किसी को कोई आपत्ति हो, तो वह 15 (पन्द्रह) दिवस के भीतर स्वतः अथवा अधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से आधार सहित मेरे समक्ष लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

कलेक्टर,
जिला—राजनांदगांव

पृ0क्रमांक / 1552 / भू—अर्जन / भूक्रनी / 2018 राजनांदगांव, दिनांक 28 / 02 / 2020

प्रतिलिपि :—

1— प्रभारी अधिकारी, जिला नाजिर शाखा, जिला कार्यालय राजनांदगांव को कार्यालय के सूचना पटल में चस्पा करने हेतु अग्रेषित।

2— अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डोंगरगांव को सूचनार्थ अग्रेषित।

3— तहसीलदार, छुरिया को 06 प्रतियों के साथ अग्रेषित। कृपया उपरोक्त सार्वजनिक सूचना दो गवाहों के समक्ष अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, डोंगरगांव, तहसील कार्यालय छुरिया तथा संबंधित ग्राम पंचायत— जोशीलमती के कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कर प्रदर्शित करावें, तथा शेष एक प्रति मय प्रतिवेदन के जारी दिनांक से एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

4— जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, राजनांदगांव को उपरोक्त सार्वजनिक सूचना जिले की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

5— आवेदक विभाग कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव को सूचनार्थ अग्रेषित। कृपया उक्त सार्वजनिक सूचना एक स्थानीय और एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर, समाचार पत्र की दो—दो प्रतियॉं इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर,
जिला—राजनांदगांव